रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23022022-233692
CG-MH-E-23022022-233692

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] **नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943**
No. 105] **NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 23 फरवरी, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/74.—बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में-

I. विनियम 35 में, खंड (क) में, उप-खंड (viii) में, पहले, दूसरे और तीसरे परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएंगे, अर्थात्,-

"परंतु यह कि स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) तीन करोड़ रुपये की होगी [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022 के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर], जिसे बढ़ाकर पाँच करोड़ रुपये करना होगा [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022 के अधिसूचित होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर]:

परंतु यह और कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 के तहत दी हुई शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करने वाला स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर) भी निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) के रूप में रजिस्ट्रीकृत (रजिस्टर) होने के लिए पात्र होगा।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./660/2021-22]

<u>पाद टिप्पण</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/40, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 तत्पश्चात् –

   क. 4 जून 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/20, द्वारा

   ख. 21 फरवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/04, द्वारा

   ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

   घ. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा

   ङ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

   च. 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/43, द्वारा

   छ. 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/53, द्वारा

   ज. 31 दिसम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2021-61, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd February, 2022

Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participations) (Amendment) Regulations, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/74.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with Section 25 of the Depositories Act, 1996, the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018-

I. in regulation 35, in clause (a), in sub-clause (viii), the first, second and third provisos shall be substituted with the following, namely, -

"Provided that the stock broker shall have a networth of rupees three crores {within one year of the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022}, which shall be increased to rupees five crores {within two years of the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022}:

Provided further that a self-clearing member fulfilling the networth requirements as provided under the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992 shall also be eligible to register as a depository participant."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT./III/4/Exty./660/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on October 3, 2018 vide No. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/40.
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were subsequently amended–
    a. June 4, 2019, by The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2019, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/20.
    b. February 21, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/04.
    c. April 17, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

d. May 05, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.

e. August 03, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

f. August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/43.

g. October 26, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/53.

h. December 31, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/61.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.23 22:25:57 +05'30'